



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- ५१५

दिनांक: 02/05/2022

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (47,600-1,51,100/- रु.) (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/2121	सुश्री सरिता सुपुत्री श्री महेश चंद	एस.ए. एंड जी.आर.
2/2122	श्री मनी सुपुत्र श्री देवेंदर सिंह	कल्याण विभाग
3/2123	श्री धीरज सुपुत्र श्री ब्रह्मपाल चौहान	आवास (समन्वय)
4/2124	श्री प्रतीक जौहर सुपुत्र श्री राम भजन जौहर	ए.ओ. (आई. एल.)

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें निम्नानुसार तैनात किया है:

क्रम सं. / वरि.सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/-	स्थान से	स्थान को
1/2121	सुश्री सरिता सुपुत्री श्री महेश चंद	पदोन्नति पर	पी, एम. ए. वाई.
2/2122	श्री मनी सुपुत्र श्री देवेंदर सिंह	पदोन्नति पर	भूमि प्रबंधन
3/2123	श्री धीरज सुपुत्र श्री ब्रह्मपाल चौहान	पदोन्नति पर	भूमि प्रबंधन
4/2124	श्री प्रतीक जौहर सुपुत्र श्री राम भजन जौहर	पदोन्नति पर	रिकॉर्ड कक्ष

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.एफ.10(72)2021/सी.सी./359

प्रतिलिपि प्रेषित:-

दिनांक:- 2/05/2022

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक) / पी.एम.ए.वाई., दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।



: 2 :

3. आयुक्त (कार्मिक) / (भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
6. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / आवास (समन्वय) / आवासीय भूमि / भूमि प्रबंधन -1 एवं 2, दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / कल्याण / आवास (समन्वय) / भूमि प्रबंधन (समन्वय) / एस.ए. एंड जी.आर. / पी.एम.ए.वाई. / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
8. उप मुख्य लेखाधिकारी (भूमि लागत निर्धारण- 1), दि.वि.प्रा.।
9. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2022)
10. लेखा अधिकारी (संस्थागत भूमि), दि.वि.प्रा.।
11. सम्बंधित लेखाधिकारी (संस्था.), राजपत्रित / अराजपत्रित / आवास, दि.वि.प्रा.।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.एम.आई.एस. / गोपनीय कक्ष-2, दि.वि.प्रा. ।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

सहायक निदेशक (गोपनीय)